

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु नोटिस)

पत्रांक : 1876 / वाद सं० आर-1666/एस-7/2023

दिनांक: 14th जून, 2024

श्री मंजीत सिंह डागर,
इंजीनियर्स एन्क्लेव, जाखन,
राजपुर रोड, देहरादून।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर लगभग 25 गुणा 35 फिट के क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र संख्या आर-1135/23-24 से विचलन करते हुये निर्माण कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 27 (1) एवं 28(1) के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस एवं निर्माण कार्य को रोके जाने की कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद संख्या आर-1666/एस-7/2023 योजित किया गया है। वाद में सुनवाई हेतु 18.12.2023, 8.1.2024, 22.1.2024, 12.2.2024, 12.3.2024, 2.4.2024, 23.4.2024 व 07.05.2024 की तिथियां नियत की गयीं, जिनमें आप अनुपस्थित रहें। उक्त के क्रम में आप द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या आर-1135/23-24 से विचलन किये गये अनियमित निर्माण का शमन मानचित्र आतिथि तक प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आप द्वारा वर्णित वाद के समाधान में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। विपक्षी वाद को जानबूझ कर लम्बित रखना चाहता है जो कि न्याय के विरुद्ध है। प्रकरण में सील कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अतः प्रकरण में चालानशुदा अवैध निर्माण को सीलिंग के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

आदेश

अतः विपक्षी द्वारा स्थल पर लगभग 25 गुणा 35 फिट के क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र संख्या आर-1135/23-24 से विचलन करते हुये निर्माण कार्य को सील किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्माण को दिनांक 20/6/24 को सील किया जाना है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि को स्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर अपना आवश्यक सामान हटा लें। अन्यथा कि स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी विपक्षी की स्वयं की होगी। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दे, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्यों में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चरप्पा हो।

अधिशाली अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

Jamrakam